न्यायालयः- मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण,
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01, ब्यावर, जिला ब्यावर)

पीठासीन अधिकारीः- डॉ. वीनू नागपाल, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
क्लेम याचिका संख्याः- 192/2022
सीआईएस संख्याः- 192/2022

-----

1. भगवान सिंह पुत्र लुम्ब सिंह, उम्र-31 साल,
2. शंकर सिंह पुत्र लुम्ब सिंह, उम्र-30 साल,

निवासीगण-रायताखेड़ा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।

-- प्रार्थीगण

ः: बनाम ः:

1. महेंद्र सिंह पुत्र जवाहर सिंह, निवासी-रायताखेड़ा, तहसील ब्यावर, जिला ब्यावर चालक वाहन मोटरसाइकिल संख्या-RJ-36-SQ-4561
2. सोनू सिंह पुत्र लुम्ब सिंह, निवासी- रायताखेड़ा, तहसील ब्यावर, जिला ब्यावर वाहन स्वामी मोटरसाइकिल संख्या-RJ-36-SQ-4561
3. दी न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा-फर्स्ट फ्लोर कृष्णा टायर्स के ऊपर श्री होटल के पास, अजमेर रोड़, ब्यावर, बीमा कंपनी वाहन मोटरसाइकिल संख्या-RJ-36-SQ-4561 जरिये बीमा पॉलिसी संख्या 33140731201700003732 दिनांक 14.09.2020 से दिनांक 13.09.2021 तक बीमित।

-- अप्रार्थीगण

मोटरयान अधिनियम की धारा 166 के अधीन याचिका

उपस्थितिः-

1. **श्री कल्याण कुमार व्यास,** अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. **श्री पी.एल.जांगिड़,** अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 व 02
3. **श्री दीपक गुप्ता,** अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी

-ः नि र्ण य ः- **दिनांकः-18.03.2026**

1. उपरोक्त याचिका प्रार्थीगण द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा 166 के अधीन विरुद्ध अप्रार्थीगण दिनांक 14.06.2022 को प्रस्तुत की गई, जिसे नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया, उक्त याचिका में प्रार्थीगण ने मुख्य रूप से कथन किया गया है कि "दिनांक 07.09.2021 को शाम करीब 07.30 बजे प्रार्थीगण की माता मृतका मीरा देवी अपनी पोती दीपिका, उम्र 02 साल, की तबीयत खराब होने के कारण गांव रायता खेड़ा के ही रहने वाले महेंद्र सिंह की मोटरसाइकिल नंबर RJ-36-SQ-4561 पर गांव से ब्यावर अमृतकौर चिकित्सालय जा रही थी कि रास्ते में सनवा के पास श्मशान रोड़ के सामने रात्रि

08.00 बजे महेंद्र सिंह द्वारा अपने वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाने के कारण मोटरसाइकिल स्लिप हो गई, जिससे मीरा देवी नीचे गिर गई, जिसके सिर में गंभीर चोटें आने से उसकी मृत्यु हो गई। दुर्घटना की प्र.सू.रि. 304/2021 पीएस जवाजा में दर्ज की जाकर आवश्यक कार्यवाही की गई। अंत में प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण से याचिका में वर्णितानुसार क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने का निवेदन किया।

2. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से जवाब पेश कर याचिका में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण ने गलत एवं मिथ्या आधारों पर बढ़ा-चढ़ाकार क्षतिपूर्ति राशि की मांग की है, अप्रार्थीगण के वाहन से किसी तरह की कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई। वरन् मृतक की स्वयं की गलती से घटित हुई है, जिस हेतु मृतक स्वयं जिम्मेदार है। प्रार्थीगण किसी प्रकार की मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, फिर भी न्यायालय अप्रार्थी पर अंशदायनी उत्तरदायित्व आरोपित करती है तो उक्त राशि अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी से वसूल की जावें, क्योंकि बरवक्त दुर्घटना उक्त वाहन अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी के पास बीमित था।

3. अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी की ओर से जवाब पेश कर याचिका में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि वाहन संख्या-RJ-36-SQ-4561 को दिनांक 14.09.2019 से 13.09.2024 तक स्टेण्ड अलोन मोटर ऑन डैमेज पॉलिसी फॉर टू व्हीलर, जिसका नंबर 33140731201700003732 में वर्णित शर्तों के तहत बीमित होना दर्शाया गया है, जिसके बीमा धारक सोनू चौहान पुत्र लुम्बा सिंह है, परंतु उक्त वाहन से दुर्घटना कारित नहीं हुई है। प्रार्थीगण बालिग है व अपने परिवार के साथ अलग निवास करते हैं। अप्रार्थी संख्या 02 अपनी सुरक्षा में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 149 व 170 तथा जारी बीमा कंपनी की पॉलिसी की शर्तों को अडोप्ट करती है, जिस कारण बीमा कंपनी का किसी प्रकार का कोई दायित्व नहीं है। अप्रार्थी चालक के पास वक्त दुर्घटना वैध एवं प्रभावी चालक अनुज्ञापत्र, रजिस्ट्रेशन नहीं था। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्जकर्ता शंकर मौके पर नहीं था, ना ही उसने दुर्घटना होते हुए देखी है। वाहन के चालक एवं दीपिका को खरोंच नहीं आना दुर्घटना को संदिग्ध बनाता है। प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करवायी गई है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 व 02 आपस में रिश्तेदार व भाईबंध है। अंत में याचिका खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

4. उभयपक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर अधिकरण द्वारा निम्न विवाद्यक विरचित किये गएः-

1. आया दिनांक 07.09.2021 को समय 07:30 पी.एम. पर मौजा सनवा के पास पुलिस थाना जवाजा के क्षेत्राधिकार में अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा वाहन मोटरसाइकिल संख्या-RJ-36-SQ-4561 को तेजगति एवं लापरवाही से चलाते हुए मोटरसाइकिल स्लिप होने से मोटरसाइकिल पर बैठी मीरा देवी के नीचे गिरने से गंभीर प्रकृति की चोटों के कारण उसकी मृत्यु कारित हुई ?
2. आया प्रार्थीगण मांगपत्र में वर्णित क्षतिपूर्ति राशि अप्रार्थीगण से प्राप्त करने के अधिकारी है ?

3. आया अप्रार्थीगण के जवाब में उठायी गई आपत्तियों के आधार पर प्रार्थीगण क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी नहीं है ?

4. आया वक्त दुर्घटना चालक के पास वैध एवं प्रभावी चालक अनुज्ञापत्र एवं दस्तावेजात नहीं होने से अप्रार्थी बीमा कंपनी का कोई उत्तरदायित्व नहीं है ?

5. अनुतोष ?

5. प्रार्थीगण की ओर से उक्त विवाद्यकों को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य में गवाह ए.डब्ल्यू 01 शंकर सिंह व ए.डब्ल्यू 02 राजू सिंह को परीक्षित करवाया है व प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श 1 लगायत प्रदर्श 16 दस्तावेजात प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाए हैं।

6. अप्रार्थीगण की ओर से गवाह अभिषेक कुमार को एन.ए.डब्ल्यू 3/1 के रूप में पेश कर परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श एन.ए-3/1 लगायत एन.ए.-3/5 प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गए।

7. बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली व अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया। तथ्यों के दोहराव से बचने के लिए लिखित बहस का पृथक से विवेचन नहीं किया जा रहा है। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किएः-

- पूजा रत्नावत बनाम परमानंद तिवारी व अन्य, 2015(2) ए.सी.टी.सी. 1118
- माला बनाम रूपाराम, 2004, आर.ए.आर. 543 राज.
- चोला मण्डलम जनरल इं.कंपनी बनाम बादामी, ए.सी.टी.सी. 2018(2) राज. 676
- बादामी बनाम चोला मण्डलम जनरल इं.कंपनी बनाम बादामी, एस.सी.स्पे.लीव.अपील संख्या 16262/2018, दिनांकित 09.05.2018
- श्रीराम जनरल इं.कं.लि. बनाम अकोला बानो व अन्य, ए.सी.टी.सी. 2024 राज. 612
- शब्बीर खान बनाम गौरव शर्मा व अन्य, 2014 आर.ए.आर. 159. राज.

8. उक्त विवाद्यकों पर अधिकरण का विवेचन एवं निष्कर्ष निम्न प्रकार हैः-

<u>विवाद्यक संख्याः- 1</u>

9. विवाद्यक संख्या 01 को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर था, जिसमें प्रार्थीगण को यह साबित करना था कि "दिनांक 07.09.2021 को समय 07:30 पी.एम. पर मौजा सनवा के पास पुलिस थाना जवाजा के क्षेत्राधिकार में अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा वाहन मोटरसाइकिल संख्या-RJ-36-SQ-4561 को तेजगति एवं लापरवाही से चलाते हुए मोटरसाइकिल स्लिप होने से मोटरसाइकिल पर बैठी मीरा देवी के नीचे गिरने से गंभीर प्रकृति की चोटों के कारण उसकी मृत्यु कारित हुई? "

10. इस संदर्भ में बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क रहा है कि "दिनांक 07.09.2021 को शाम करीब 07.30 बजे प्रार्थीगण की माता मृतका मीरा देवी

अपनी पोती दीपिका, उम्र 02 साल, की तबीयत खराब होने के कारण गांव रायता खेड़ा के ही रहने वाले महेंद्र सिंह की मोटरसाइकिल नंबर RJ-36-SQ-4561 पर गांव से ब्यावर अमृतकौर चिकित्सालय जा रही थी कि रास्ते में सनवा के पास श्मशान रोड़ के सामने रात्रि 08.00 बजे महेंद्र सिंह द्वारा अपने वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाने के कारण मोटरसाइकिल स्लिप हो गई, जिससे मीरा देवी नीचे गिर गई एवं सिर में गंभीर चोटें आने से उसकी मृत्यु हो गई। दुर्घटना अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अपने वाहन को तेजगति, गफलत एवं लापरवाही से चलाते हुए कारित की गई है।

11. इसके विरोध में अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 का तर्क है कि दुर्घटना मृतक स्वयं की गलती से कारित हुई है तथा अप्रार्थी संख्या 01 के पास प्रश्नगत वाहन को चलाने का वैध एवं प्रभावी चालक अनुज्ञापत्र था एवं प्रार्थीगण किसी प्रकार की मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, फिर भी न्यायालय अप्रार्थी पर अंशदायनी उत्तरदायित्व आरोपित करती है तो उक्त राशि अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी से वसूल की जावें, क्योंकि वर वक्त दुर्घटना उक्त वाहन अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी के पास बीमित था।

12. इसी प्रकार अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी का तर्क रहा है कि दुर्घटना होते ही पुलिस मौके पर आ गई थी, यदि मोटरसाइकिल स्लिप हुई होती तो पुलिस रोजनामचा रपट में स्लिप होने व मोटरसाइकिल का नंबर व चालक का नाम अवश्य लिखती। प्रथम सूचना रिपोर्ट दो दिन की देरी से दर्ज कराने का कारण प्रार्थीगण ने नहीं बताया है। वाहन पर सवार तीन लोगों में से एक की मृत्यु होना और अन्य दो को खरोंच भी नहीं आना उक्त दुर्घटना को संदिग्ध बनाता है। मैकेनिकल मुआयना के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल की हैडलाईट, आगे का इंडिकेटर व मडगार्ड टूटा हुआ है। यदि मोटरसाइकिल स्लिप होने पर हैंडिल के ऊपर गिरती है, जिससे सामने की हैडलाईट व इंडिकेटर नहीं टूटता। पोस्टमार्टम के अनुसार भी पोस्टमार्टम दिनांक 08.09.2021 को समय 12.10 पी.एम पर किया गया है, जिसमें मृत्यु का समय 24 घंटों के भीतर, यानि दिनांक 07.09.2021 को शाम 07.30 बजे दुर्घटना नहीं होकर उसी दिन 12.00 से 04.00-05.00 बजे के बीच हुई है व मृतका की मृत्यु भी इसी समय हुई है। यानि पोस्टमार्टम परीक्षण से 24 घंटे पूर्व ही मृतका की मृत्यु हो चुकी थी।

13. याचिका के समर्थन में प्रार्थीगण द्वारा जो साक्ष्य पेश की गई है उसमें **शंकर सिंह ए.डब्ल्यू 01** ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि "दिनांक 07.09.2021 को शाम करीब 07.30 बजे उसकी माता मृतका मीरा देवी अपनी पोती दीपिका की तबीयत खराब होने के कारण महेंद्र सिंह की मोटरसाइकिल नंबर RJ-36-SQ-4561 पर गांव से ब्यावर अमृतकौर चिकित्सालय जा रही थी कि रास्ते में सनवा के पास श्मशान रोड़ के सामने महेंद्र सिंह द्वारा वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाने के कारण मोटरसाइकिल स्लिप हो गई, जिससे मीरा देवी के नीचे गिरने व सिर में गंभीर चोटें आने से उसकी मृत्यु हो गई। उसकी माता एक 57 वर्षीय हष्टपुष्ट महिला थी, जो मजदूरी व खेती बाड़ी करके 10,000/-रुपये प्रतिमाह अर्जित करती थी, जिससे वह अपना व गवाह का भरण-पोषण करती थी। यह दुर्घटना अप्रार्थी संख्या 01 महेंद्र सिंह की गलती से कारित हुई है। दस्तावेजी

साक्ष्य में आरोप पत्र प्रदर्श–1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–2, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श–3, फर्द पंचायतनामा प्रदर्श–4, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श–5, फर्द नक्शा मौका प्रदर्श–6 व 7, फर्द जब्ती मोटरसाइकिल प्रदर्श–8, नोटिस 133 एम.वी.एक्ट सोनू सिंह प्रदर्श–9, नोटिस 134 एम.वी.एक्ट महेंद्र सिंह प्रदर्श–10, आर.सी. प्रदर्श–11, बीमा पॉलिसी प्रदर्श–12, डी.एल. महेंद्र सिंह प्रदर्श–13, मैकेनिकल मुआयना प्रदर्श–14, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श–15, आधार कार्ड शंकर सिंह प्रदर्श–16 प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाए हैं।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से किये गए **प्रतिपरीक्षण** में इस गवाह ने इस कथन का सही होना स्वीकार किया कि वक्त दुर्घटना वह मौके पर नहीं था। दुर्घटना किसी गलती से हुई, इसकी जानकारी इस गवाह को नहीं है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से किये गए **प्रतिपरीक्षण** में इस गवाह ने कथन किया कि वह 15,000/–रुपये मासिक कमा लेता है। उसके दो भाई भगवान सिंह व सोनू सिंह है। भगवान सिंह सउदी अरब में रहता है, वहीं कमाता है। सोनू सिंह मेंहदी के कोन बनाने का काम करता है। गवाह ने इस कथन को सही होना बताया कि वह अपनी माता को रोटी–कपड़ा व अन्य सुविधाएं देता था। उसकी माता उसके साथ रहती थी। उसने घटना होते नहीं देखी, इसलिए नहीं बता सकता कि दुर्घटना किसी गलती से हुई। गवाह ने इस कथन को सही होना स्वीकार किया कि उसने दुर्घटना वाले दिन और दिनांक 08.09.2021 को अस्पताल में पुलिस को चालक का नाम, पता व गाड़ी के नंबर नहीं बताए थे।

14. इसी प्रकार अन्य गवाह **राजू सिंह ए.डब्ल्यू 02** ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 07.09.2021 को शाम करीब 07.30 बजे मोटरसाइकिल नंबर RJ–36–SQ–4561 पर एक महिला, एक बच्ची व महेंद्र सिंह जा रहे थे। वाहन महेंद्र सिंह चला रहा था। वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाने के कारण मोटरसाइकिल स्लिप हो गई, जिससे मीरा देवी के नीचे गिरने से चोटें आई, जिसे हम लोग अमृतकौर अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वह मीरा देवी को जानता है, जो एक 57 वर्षीय हष्टपुष्ट महिला थी, जो मजदूरी व खेती बाड़ी करके 10–12 हजार रुपये प्रतिमाह अर्जित करती थी।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से किये गए **प्रतिपरीक्षण** में इस गवाह ने इस कथन को गलत होना कथित किया कि उसने दुर्घटना ना देखी हो।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से किये गए **प्रतिपरीक्षण** में इस गवाह ने इस कथन को सही होना स्वीकार किया कि भगवान सिंह, शंकर सिंह और वह रिश्तेदार है। थाने पुलिस में उसके कोई बयान नहीं हुए। दुर्घटना दिनांक 07.09.2021 को घटित हुई थी। अधिवक्ता अप्रार्थी बीमा कंपनी द्वारा यह प्रश्न पूछने पर कि यह बात सही है कि आपने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर, प्रकार व चालक का नाम पुलिस को नहीं बताया?, जिसके जवाब में गवाह ने कथन किया कि उसने पुलिस को नहीं बताया। गवाह ने इस कथन को भी सही होना स्वीकार किया कि वह एम्बूलेंस के साथ अस्पताल नहीं गया, ना ही उसने मृत्यु बाबत् कोई दस्तावेज देखे।

15. अप्रार्थी सं–3 बीमा कंपनी की ओर से परीक्षित एन.ए.डब्ल्यू–3/1 अभिषेक कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में बयान दिया कि उक्त प्रकरण में बीमा कंपनी द्वारा उसे

प्रकरण से संबंधित न्यायालय में हुए बयानों व पुलिस रोजनामचा रपट प्राप्त कर प्रेषित करने हेतु जांचकर्ता नियुक्त किया था। बयानों की प्रति प्रदर्श एन.ए.डब्ल्यू-3/1 लगायत 3/4 है तथा रोजनामचा नकल प्रदर्श एन.ए.डब्ल्यू-3/5 है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से किये गए **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने इस कथन को सही होना स्वीकार किया कि उसने मौके पर जाकर व बाद में मौके के किसी गवाह से कोई जानकारी प्राप्त नहीं की, ना ही वाहन के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त की। फिर खुद बयान दिया कि उसे केवल फौजदारी बयानों की प्रति निकालने के लिए नियुक्त किया गया था।

16. उभय पक्षकारान के उक्त तर्कों पर मनन किया। पत्रावली पर आई साक्ष्य का समग्रता से अवलोकन किया। अप्रार्थी बीमा कंपनी के विद्वान अभिभाषक का मुख्य तर्क यह रहा है कि अप्रार्थीगण के वाहन से किसी तरह की कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई वरन् मृतका स्वयं की गलती से घटित हुई है, जिस हेतु मृतक स्वयं जिम्मेदार है एवं सोची समझी साजिश कर बीमित वाहन को दुर्घटना में अवैध रूप से लिप्त कर झूठी रिपोर्ट 02 दिन की देरी से दर्ज करवाई गई है, प्रश्नगत वाहन से किसी प्रकार की दुर्घटना कारित नहीं हुई है।

17. इस संबंध में अधिकरण का विनम्र मत है कि प्रकरण में मृतका मीरा देवी के पुत्र शंकर सिंह द्वारा दिनांक 09.09.2021 को पुलिस थाना जवाजा में एक तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श-3 इस आशय की दर्ज करवाई गई कि "दिनांक 07.09.2021 को शाम करीब 07.30 बजे मीरा देवी अपनी पोती दीपिका की तबीयत खराब होने के कारण महेंद्र सिंह के साथ मोटरसाइकिल नंबर RJ-36-SQ-4561 पर गांव से ब्यावर अमृतकौर चिकित्सालय जा रही थी। घर से रवाना होकर सनवा के पास श्मशान रोड़ के सामने शाम 08.00 बजे पहुंचे कि महेंद्र सिंह द्वारा वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाने के कारण मोटरसाइकिल स्लिप हो गई, जिससे मीरा देवी नीचे गिर गई, जिसके सिर में जगह-जगह गंभीर चोटें आने से उसकी मृत्यु हो गई। बच्ची दीपिका को चोट नहीं लगी...... इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर बाद विस्तृत अनुसंधान अप्रार्थी संख्या 01 महेंद्र सिंह को दुर्घटना का दोषी मानते हुए उसके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र अंतर्गत धारा 279, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता के तहत पेश किया गया, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श-1 पत्रावली पर पेश की गई है।

18. इसके अतिरिक्त पत्रावली पर दुर्घटना दिवस के दस्तावेज का अवलोकन करें तो इस संबंध में पत्रावली पर प्रस्तुत रोजनामचा आम प्रदर्श एन.ए.-3/5 का अवलोकन किया जाए तो उक्त दस्तावेज में दिनांक 08.09.2021 को समय सुबह करीब 10:00 बजे शंकर सिंह थाने में उपस्थित होकर श्मशान रोड़ पर एक्सीडेंट एवं एक्सीडेंट में श्रीमती मीरा देवी की मृत्यु होने बाबत् लिखित रिपोर्ट पेश की गई है। इस संदर्भ में पत्रावली पर प्रस्तुत पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श-15 का अवलोकन करें तो उक्त दस्तावेज दिनांक 08.09.2021 को जारीशुदा है, जिसमें मृतका की मृत्यु 24 घंटे के भीतर होना उल्लेखित किया गया है, जिससे प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है कि प्रार्थीगण द्वारा अंकित दिनांक को ही दुर्घटना कारित हुई है। अधिकरण के विनम्र मतानुसार जहां दुर्घटना होती है वहां सर्वप्रथम आहत का चिकित्सीय उपचार आवश्यक होता है, उस स्थिति में आहत या उसके परिजनों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे चिकित्सा प्राप्त करने से पूर्व आपराधिक प्रकरण संस्थित

करवाएं, चूंकि हस्तगत प्रकरण में भी दुर्घटना दिनांक 07.09.2021 को रात्रि करीबन 08.00 बजे होना, तत्पश्चात आहता मीरा देवी को राजकीय अमृतकौर अस्पताल, ब्यावर ले जाना बताया गया है, जहां उसे मृत घोषित किया गया है, तथा प्रार्थी शंकर सिंह द्वारा दुर्घटना के अगले ही दिन दिनांक 08.09.2021 को पुलिस थाना जवाजा में उपस्थित होकर समय सुबह 10.00 बजे दुर्घटना बाबत् लिखित रिपोर्ट पेश कर दिया जाना बताया गया है। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने में हुई देरी पूर्णतया सद्भाविक है। अधिकरण के विनम्र मतानुसार प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा बाद अनुसंधान अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके खण्डन में आपत्तिकर्ता अप्रार्थीगण की ओर से किसी प्रकार की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। उक्त परिस्थितियों में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण के तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

जहां तक प्र.सू.रि. विलंब से दर्ज करवाने का प्रश्न है? इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त **2011(1) ए सीटीसी (एससी) 225 रवि बनाम बद्रीनारायण** में सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि ''यद्यपि दावा याचिकाओं के निर्णय में प्राथमिकी महत्वपूर्ण है लेकिन यदि दावेदार इसके लिए युक्तियुक्त कारण दर्शित करने में सफल रहे है तो इसे दर्ज करवाने में विलंब को घातक नहीं माना जाना चाहिये।," अतः उक्त तथ्यों एवं न्यायिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में अप्रार्थी का उक्त तर्क अधिकरण के विनम्र मतानुसार स्वीकार्य नहीं है।

19. इसके अलावा अप्रार्थी बीमा कंपनी के विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क रहा है कि प्रश्नगत वाहन से किसी प्रकार की दुर्घटना कारित नहीं हुई है। इस संबंध में न्यायालय के विनम्र मत में उक्त दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट में बाद विस्तृत अनुसंधान अप्रार्थी संख्या 01 को दुर्घटना का दोषी मानते हुए उसके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रदर्श-1 प्रस्तुत किया गया है एवं धारा 134 मोटर वाहन अधिनियम के नोटिस प्रदर्श-10 में भी अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन स्वयं द्वारा चलाया जाना एवं दुर्घटना स्वयं के वाहन द्वारा होना स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर अवस्थित मैकेनिकल मुआयना प्रदर्श-14 के अवलोकन से इसमें वाहन मोटरसाइकिल संख्या- RJ-36-SQ-4561 की सामने से हैडलाईट व आगे का इंडिकेटर व मडगार्ड टूटा होना, तत्पश्चात फर्द जब्ती मोटरसाइकिल संख्या RJ-36-SQ-4561 प्रदर्श-8 से भी उक्त वाहन से दुर्घटना कारित होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। जिसके खण्डन में अप्रार्थी बीमा कंपनी की ओर से किसी प्रकार की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत उक्त आपत्ति का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

20. दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी बीमा कंपनी का यह भी तर्क रहा है कि बरवक्त दुर्घटना अप्रार्थी संख्या 01 महेंद्र के पास वाहन चलाने का वैध व प्रभावी चालक अनुज्ञापत्र नहीं था। इस संबंध में प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी संख्या 01 महेंद्र सिंह के डी.एल. की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-13 प्रस्तुत की गई है, जिसमें उसे MCWG चलाने हेतु दिनांक 20.01.2005 से दिनांक 19.01.2025 तक की अवधि के लिये अधिकृत किया गया है

तथा दुर्घटना दिनांक 07.09.2021 की बताई गई है। उक्त चालक अनुज्ञा पत्र प्रदर्श-13 वैध एवं प्रभावी नहीं हो, इस संबंध में अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी की ओर से किसी प्रकार की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत उक्त आपत्ति का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

21. इसके अतिरिक्त उक्त दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट में बाद विस्तृत अनुसंधान अप्रार्थी संख्या 01 को दुर्घटना का दोषी मानते हुए उसके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रदर्श-1 प्रस्तुत किया गया है एवं धारा 133 मोटर वाहन अधिनियम के नोटिस प्रदर्श-9 में भी अप्रार्थी संख्या 02 ने वाहन स्वयं का होना व वक्त दुर्घटना उक्त वाहन अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा चलाया जाना बताया है तथा धारा 134 मोटर वाहन अधिनियम के नोटिस प्रदर्श-10 में वक्त दुर्घटना वाहन अप्रार्थी संख्या 01 ने स्वयं द्वारा चलाया जाना स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त नक्शा मौका प्रदर्श-6 में एक्स स्थान पर दुर्घटना होना अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदर्श-11 प्रश्नगत वाहन के रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति है, जिसके अवलोकन से वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन का स्वामी अप्रार्थी संख्या 02 का होना प्रमाणित है। प्रदर्श-12 प्रश्नगत वाहन की बीमा पॉलिसी की प्रमाणित प्रति है जिसके अवलोकन से जाहिर होता है कि वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन अप्रार्थी बीमा कंपनी के यहां दिनांक 14.09.2020 से 13.09.2021 तक के लिये बीमित था। अतः पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विवाद्यक संख्या 01 प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या - 04

22. उपरोक्त विवाद्यक को प्रमाणित करने का भार अप्रार्थी बीमा कंपनी पर था। जहां तक वक्त दुर्घटना अप्रार्थी संख्या 01 के पास वैध व प्रभावी चालक अनुज्ञापत्र नहीं होने का प्रश्न है, इस संबंध में प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी संख्या 01 महेंद्र सिंह का चालक अनुज्ञापत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-13 प्रस्तुत की गई है। जिसमें उसे MCWG चलाने हेतु दिनांक 19.01.2025 तक की अवधि के लिये अधिकृत किया गया है तथा दुर्घटना दिनांक 07.09.2021 की बताई गई है। उक्त चालक अनुज्ञा पत्र प्रदर्श-13 वैध एवं प्रभावी नहीं हो इस संबंध में अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी की ओर से किसी प्रकार की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः विवाद्यक संख्या 04 अप्रार्थी बीमा कंपनी के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या - 02 व 03

23. उपरोक्त दोनों विवाद्यकों की विषयवस्तु एक होने एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने के लिए दोनों विवाद्यकों का विनिश्चय एक साथ किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। विवाद्यक संख्या 02 को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर था तथा विवाद्यक संख्या 03

को साबित करने का भार अप्रार्थीगण पर था। विवाद्यक संख्या 2 में प्रार्थीगण को यह साबित करना है कि क्या प्रार्थीगण क्लेम याचिका में मांगी गई मुआवजा राशि पाने के अधिकारी हैं?

24. जिस संबंध में अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क है कि वक्त दुर्घटना मृतका मजदूरी एवं खेती बाड़ी का कार्य करके 10,000/- रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करती थी, और इससे अपना व प्रार्थीगण का भरण-पोषण करती थी।

25. इस संबंध में प्रार्थी शंकर ए.डब्ल्यू-1, जो कि मृतका का पुत्र है, उसके द्वारा याचिका में प्रार्थीगण को मृतका पर आश्रित होना बताया गया है, जबकि उक्त गवाह से अधिवक्ता अप्रार्थी बीमा कंपनी द्वारा की गई जिरह में गवाह ने इस कथन को स्वीकारोक्ति दी है कि वह अपनी माता को रोटी, कपड़ा व अन्य सामान देता था और मृतका मीरा देवी उसके साथ ही रहती थी। इसके अतिरिक्त गवाह शंकर ने स्वयं का मार्बल की मशीन चलाकर 15,000/-रुपये मासिक कमाना बताया है, साथ ही मृतका के अन्य पुत्र प्रार्थी भगवान सिंह का सउदी अरब में रहकर खाना कमाना बताया है।

26. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का पुनः ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं परिस्थितियों के सम्यक् परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण, यद्यपि मृतका के विधिक प्रतिनिधि (legal representatives) हैं, परंतु वे मृतका पर आर्थिक रूप से आश्रित नहीं थे। मृतका के दोनों पुत्र बालिग हैं, तथा खाने-कमाने वाले हैं। गवाह ए.डब्ल्यू-1 शंकर ने अधिवक्ता अप्रार्थी बीमा कंपनी द्वारा जिरह किए जाने पर स्वयं का 15,000/-रुपये मासिक एवं प्रार्थी शंकर का सउदी अरब में खाना कमाना बताया है। परिणामस्वरूप आवेदकगण को मृतका की आय पर आधारित "आश्रितता क्षति (loss of dependency)" के अंतर्गत क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने का औचित्य नहीं बनता। परिणमास्वरूप विवाद्यक संख्या 02 प्रार्थीगण के विरुद्ध एवं अप्रार्थीगण के पक्ष में तथा उक्तानुसार विवाद्यक संख्या 03 आंशिक रूप से अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

27. अब जहां तक मृतका के देहान्त से प्रार्थीगण को उनके दाहसंस्कार एवं अन्य क्रियाकर्म पर खर्च किए जाने वाली राशि व पीडा-संताप का प्रश्न है, तो इस सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांतों- **SLP (Civil) No. 25590 OF 2014, National Ins. Co. Ltd. Vs Pranay Sethi & Ors.** तथा **Manjuri Bera v. Oriental Insurance Co. Ltd., (2007) 10 SCC 643 (SC),** में प्रतिपादित सिद्धांतों व दिशा निर्देशों की अनुपालना में प्रार्थीगण को कानूनी वारिसान होने के नाते, केवल पारंपरिक मदों (conventional heads) के अंतर्गत Loss of Estate, Consortium and Funeral Expenses के मद में क्रमशः 18,150/- रुपये, 48,400/- रुपये (प्रत्येक प्रार्थी को) व 18,150/- रुपये की सम्मानजनक क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

28. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण को देय क्षतिपूर्ति राशि निम्न प्रकार आंकलित की जाती हैः-

–ः आय की क्षति ः–

क्र. सं.	मद		राशि
	Loss of Estate	18,150/–	18,150/–
	Consortium	48,400/– X 02 आश्रित	96,800/–
	Funeral Expenses	18,150/–	18,150/–
	कुल योग		**1,33,100/–**

29. इस प्रकार प्रार्थीगण को कुल **1,33,100/–** रुपये क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

30. उक्त आंकलित की गई क्षतिपूर्ति राशि प्रार्थी, अप्रार्थीगण से पृथक–पृथक एवं संयुक्तः रुप से प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। चूंकि वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी के यहां बीमित था। अतः क्षतिपूर्ति राशि अदायगी की जिम्मेदारी अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी की होगी।

अनुतोषः–

31. विवाद्यक संख्या 01 लगायत 04 के निर्णयानुसार प्रार्थीगण की याचिका विरुद्ध अप्रार्थीगण आंशिक रुप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

:: अधिनिर्णय ::

32. परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत क्षतिपूर्ति याचिका विरुद्ध अप्रार्थीगण आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण से **1,33,100/–** रूपये क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। उक्त राशि की अदायगी की जिम्मेदारी अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी की होगी।

33. प्रार्थी उक्त अवार्ड राशि पर याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 13.01.2020 से तावसूली रकम **7.5** प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज भी पाने के हकदार हैं। अप्रार्थीगण पक्ष द्वारा उपरोक्त पंचाट में वर्णित राशि का भुगतान मोटर यान अधिनियम की धारा 168(3) में वर्णित अवधि 01 माह में किया जाए व इस हेतु **बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा ब्यावर में संचालित अधिकरण के खाता संख्याः– 40220100025983 IFSC Code BARBOBRGBXX** में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा कराए व इस अधिकरण को 15 दिवस की अवधि में इसकी सूचना मय संव्यवहार संख्या प्रस्तुत करें। अंतरिम अवार्ड की राशि यदि कोई पूर्व में अदा की गई हो तो वह अवार्ड राशि में समायोजित की जाएगी उक्त राशि को अधिकरण के खाते में जमा होने पर प्रार्थीगण को देय क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान जरिये **राष्ट्रीयकृत बैंक** निम्न प्रकार किया जाए–

क्र. सं.	नाम प्रार्थी	कुल देय राशि	नकद	FDR राशि	अवधि
1.	श्री भगवान सिंह	66,550/–	66,550/– मय ब्याज	–	–
2.	श्री शंकर सिंह	66,550/–	66,550/– मय ब्याज	–	–

34. यदि प्रार्थीगण द्वारा मामले में अंतरिम अवार्ड के रुप में पूर्व में कोई राशि प्राप्त की गई हो तो वह राशि अंतिम अवार्ड में समायोजित किये जाने योग्य होगी।

35. उक्त अवार्ड राशि पाने से पूर्व प्रार्थीगण इस अधिकरण में अपने–अपने शपथ पत्र इस आशय के पेश करें कि उन्होंने इस दुर्घटना से संबंधित अन्य कोई याचिका अन्य किसी भी अधिकरण/न्यायालय में पेश नहीं की है, ना ही कोई क्लेम राशि अन्यत्र कहीं से भी प्राप्त की है।

(डॉ. वीनू नागपाल)
मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण और
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01, ब्यावर।

36. अधिनिर्णय आज दिनांक **18.03.2026** को विवृत्त अधिकरण में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर सुनाया गया ।

(डॉ. वीनू नागपाल)
मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण और
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01, ब्यावर।

SURYA PRAKASH

Steno Gr. III
"Authenticate Document"
Digitally signed by SURYA PRAKASH
Date: 2026.03.19 10:09:16 +0530